

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1. मुकुन्द आत्मज श्री बलदेव मोगा बनाम आयु 44 वर्ष जाति पंजाबी
2. मुकुल आत्मज श्री बलदेव मोगा आयु 40 वर्ष जाति पंजाबी जरिये मुख्तार आम बलदेव मोगा आत्मज श्री चानन मोगा, निवासी म0नं0 ए 4 भगवान दास नगर पंजाबी बाग नई दिल्ली हाल निवासी कोटा बूंदी रोड ग्राम रामनगर कोटा

-वादीगण

1. औंकार आत्मज श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
2. काली बाई पुत्री श्री भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
3. घनश्याम आत्मज श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
4. टीकमचंद आत्मज श्री भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
5. द्वारिका बाई पुत्री श्री कान्हा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
6. देवीलाल आत्मज श्री गोरधन जाति माली निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान
6/1. देवराज आत्मज स्व0 देवीलाल
6/2. मोहिनी पुत्री स्व0 देवीलाल निवासीगण ग्राम गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. प्रभु आत्मज श्री बिरधा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
8. पंसूरी बाई पुत्री श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
9. भरोसीलाल आत्मज श्री गोरधन निवासी गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. महेन्द्र आत्मज श्री भैरूलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
11. मांगी बाई पत्नी स्व0 गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
12. रमेशचंद आत्मज श्री कान्हा जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
13. राजू आत्मज स्व0 गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बिनायका तहसील व जिला बून्दी
14. राजस्थान जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

-प्रतिवादीगण

--:: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::--

मुकदमा नं. 80 / 2024

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार कोई आपत्ति नहीं होने से ग्राम गोरधनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 344 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 345 रकबा 0.16 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
मुकुल पुत्र बलदेव मोगा जाति पंजाबी निवासी पंजाबी बाग नई दिल्ली	345	0.04	मध्य
मुकुन्द पुत्र बलदेव मोगा जाति पंजाबी निवासी पंजाबी बाग नई दिल्ली	343	0.04	पूर्व
भरोसी लाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी गोरधनपुरा	344	0.01	दक्षिण उत्तर
	345	0.03	
	किता 2	0.04	
महेन्द्र पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी बड़गांव	343	0.04	पश्चिम उत्तर
	344	0.14	
	किता 2	0.18	
राजू पुत्र गोपाल जाति कुम्हार सा० बिनायका बूंदी	343	0.02	मध्य
1.भरोसीलाल पुत्र गोरधन हि० 1/8 जाति माली 2.मुकुन्द पुत्र बलदेव हि० 1/8 3.मुकुल पुत्र बलदेव हि० 1/8 4.महेन्द्र पुत्र प्रताप हि० 71/120 जाति गुर्जर 5.राजू पुत्र गोपाल जाति कुम्हार हि० 1/30	343	0.02	मध्य
	344	0.02	मध्य
	345	0.09	दक्षिण
	किता 3	0.13	

इस वाद के खर्चे लेखे...X...रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित.... Xद्वारा Xको दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख...!९...माह...!९...सन् २...५...को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प		.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6.कमिष्जर की फीस		कमिष्जर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा